2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय–48,552

(ख) निपटाये गये मामलों की संख्या:

वर्ष के दौरान

| 1 अधीनस्थ न्यायालय : | 1992 | 1993 |
|---|---|---|
| (i) जिला न्यायाधीशों के न्यायालय– | 79,500 | 1,24,061 |
| (ii) सिविल न्यायाधीशों के न्यायालय– | 5,26,695 | 5,22,337 |
| 2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय– | 23,063 | 23,375 |

(ग) न्यायालयों में वकीलों के उप संजात न होने के कारण मामलों के निपटारे में प्रति कूल प्रभाव पड़ा था ।

(घ) और (ङ) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और उन्हें यथासंभव शीघ्रता से निपटाने के लिये उपायों और साधनों का पता लगाने के लिये मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसम्बर, 1993 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत संकल्पों को सभी राज्य सरकारों संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सहित, सभी उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दिया गया है।

**महाराष्ट्र और गुजरात में काननी सहायता योजना**

5956. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में कानूनी सहायता के अन्तर्गत लाभांवित हुये व्यक्तियों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस योजना के विहित सिद्धांतों को संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान उक्त राज्यों को इस योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई धनराशि को पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज)** : (क), (ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) विधिक/सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, जिसे अभी प्रवृत्त किया जाना है, विधिक सहायता की पात्रता के लिये आय की अधिकतम सीमा को उच्च न्यायालय तक के मामलों में 6,000 रु० प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 9,000 रु० प्रतिवर्ष और उच्चतम न्यायालय के मामलों के लिये 9,000 रु० प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 12,000 रु० प्रतिवर्ष करता है ।

**उत्तर प्रदेश में मुफत कानूनी सहायता**

5957. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में कानूनी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं ;

(ख) क्या इस योजना के विहित सिद्धांतों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1992-93 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को जारी की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992-93 के दौरान विधिक सहायता स्कीम से 4,51,714 व्यक्तियों को फायदा प्राप्त हुआ है ।

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में, जो अभी प्रवृत होना है, विधिक सहयता की पात्रता के लिये आय की अधिकतम सीमा को, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष है, तो 6000 रु० प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9000 रु० प्रति वर्ष या ऐसी उच्चतर रकम, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो 9000 रू० प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12000 रु० प्रति वर्ष या ऐसी उच्चतर रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, करने का उपबंध है ।

(ग) दिये गये धन का पूरी तरह से उपयोग किया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Issue of Identity Cards to Voters**

5958. SHRI VISHNU KANT SHAS-TRI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) by when the work relating to issue of identity cards to Indian citizens for the purpose of casting votes at elections is likely to be completed;

(b) the States where the work of issuing of identity cards has com menced;

(c) the States where it has not yet started and the reasons theretor; and

(d) whether guidances have been issued to States for the i^sue of Id entity Cards, if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. H. BHARDWAJ): (a) and (b) The Election Commission has issued detailed instructions/guidelines for issuance of photo identity cards to all electors. These *inter-alia,* provide that the entire expenditure on issuance of photo identity card is to be initially borne by the concerned State Governments and subsequently half of the expenditure is to be reimbursed by the Central Government. According to the time schedule prescribed by the Election Commission, the work relating to the distribution of cards of electors is to be completed *by* 30-11-94.

(b) and (c) The informatit)n is being collected and will be laid on on the Table of the House.

**Funding of poll expenses by Govt**

5959. SHRI V. NARAYANASAMY: SHRI BISHAMBHARNATH PANDE: MISS SAROJ KHAPARDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose funding of poll expenses in the country in view of the increase in complaints from various quarters about the amount of money that has been pumped during the election times by various political parties and candidates; and

(b) if so, when the said scheme will be brought forth for controlling the election process in the country?